



आयकर आयुक्त कार्यालय - I

केन्द्रीय राजस्व भवन गडकरी चौक, पुराना आगरा रोड, नाशिक शहर - ४२२ ००२

पंजीकरण प्रमाणपत्र

दिनांक: २९/०१/२०१०

(क्रमांक ७०/९३)

प्रेमांदर सामाजिक संस्था, नाशिक रोड
४. मां कुमपुजा अपार्टमेंट, के. जे. मेहता हायस्कूल रोड, नाशिक रोड
(ट्रस्ट / संस्था का नाम)

ने, जैसा कि संगठन के दिनांक १५/०१/२००९ की ट्रस्ट डीड / ज्ञापन द्वारा उसका गठन किया गया है। आयकर अधिनियम १९६१ की धारा १२ ए ए (१) के तहत पंजीकरण हेतु निर्धारित फार्म नं. १० (ए) में दिनांक ०७/०७/२००९ को एक आवेदन पत्र दाखिल किया है। अतः ट्रस्ट / संस्था का नाम आयकर अधिनियम १९६१ के अंतर्गत आयकर आयुक्त १ कार्यालय में रखे गये ट्रस्ट / संस्था के रजिस्टर में दर्ज किया जाता है।

- यह पंजीकरण दिनांक ०१/०४/२००९ से प्रभावित करेगा।
- पंजीकरण सं. ना. / (पी आर ओ) / १२ ए ए / २००९-१०/२०० ७०/९३ है।
- जैसा कि ट्रस्ट / संस्था द्वारा फार्म १० (ए) में आवेदन पत्र विलंब से दाखिल किया है। पर्याप्त कारणों के अभाव में — माह / वर्ष के विलंब के लिए माफी नहीं दी जा सकती।



५८/
(एच. एस. आचार्य)
आयकर आयुक्त - I
नाशिक

सं. ना. आ. आ. - I / तकनीकी / १२ ए ए (१) / २००९-१० / २५४१
७०/९३

दिनांक: २९/०१/२०१०

प्रतिलिपि प्रेषित:

- आवेदक को उसके आवेदन पत्र दिनांक ०७/०७/२००९ के संदर्भ में इस प्रमाणपत्र से ट्रस्ट को कोई भी दानदाता धारा ८० - जी के अंतर्गत छूट का हकदार नहीं होता है, उसके लिए धारा ८० - जी के अलग से दूसरा प्रमाणपत्र जरूरी है।
- आयकर निर्धारण अधिकारी, सर्विस / वॉर्ड १(१) नाशिक को इस उद्देश्य हेतु जो रजिस्टर बनाया गया है, उसमें इस ट्रस्ट / संस्था का नाम नोट कर लिया जाए। इसकी कार्ययता या अन्य किसी बात की जांच - पड़ताल की जाए एवं इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।
- आयकर संयुक्त आयुक्त रेंज / १ / २ / ३ नाशिक / धुले

(अभिषेक जाधव)
आयकर अधिकारी
आयकर निर्धारण अधिकारी
(मु.) तकनीकी

कृते आयकर आयुक्त - I, नाशिक.